फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

राजेन्द्र कुमार सैनी आदि बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट — **मुकदमा नम्बर** 92 **सन् 2021**

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21 रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **02.03.2021** को पेश हो। (हस्ताक्षर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
02/03/2021 वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दिनांक 9/3/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9/3/2021 वकील प्रार्थी उप0। साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी राजेन्द्र कुमार सैनी व शिम्भुदयाल सैनी, शिवपाल सैनी मदनलाल सैनी का शपथ पत्र पेश हुआ। शामिल मिसल किया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/03/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार सैनी व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम शम्भूदयाल सैनी है। प्रार्थीगण के पिता की फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 339 द्वारा प्रार्थीगण का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में सहवन से	

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:58:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का गलत नाम क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद व शिम्भूदयाल दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राजस्व ग्राम गांवडी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के भूमि खाता संख्या 385 की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थीगण का नाम क्रमशः राजेन्द्र कुमार सैनी व शम्भूदयाल सैनी अंकित है। प्रार्थीगण के स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों एवं सह खातेदारान शिवपाल सैनी पुत्र मेंदाराम, जमनालाल सैनी पुत्र भगवाना राम सैनी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार शिवपाल सैनी पुत्र मेंदाराम, जमनालाल सैनी पुत्र भगवाना राम सैनी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद व शिम्भूदयाल पुत्रगण सुन्दरलाल अंकित है। प्रार्थीगण का कथन कि प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः राजेन्द्र कुमार सैनी व शम्भूदयाल सैनी पुत्रगण सुन्दरलाल है की पुष्टि आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राजस्व ग्राम गांवडी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के भूमि खाता संख्या 385 की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तह. नीमकाथाना के खाता संख्या 151 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम राजेन्द्र प्रसाद व शिम्भूदयाल पुत्रगण सुन्दरलाल के स्थान पर क्रमशः राजेन्द्र कुमार सैनी व शम्भूदयाल सैनी पुत्रगण सुन्दरलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Ve
Digitally signed by Br
Date: 2021.03.29 17:
Reason: SelfAttested